संख्या– 1437 /XXVIII–4–2012–09/2012

प्रेषक,

1. **प्रमुख सचिव,**
   चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **प्रमुख सचिव,**
   महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास,
   उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **महानिदेशक,**
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
   उत्तराखण्ड।
2. **निदेशक,**
   आई0सी0डी0एस0,
   उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–4 **देहरादून : दिनांक** 3 जनवरी, **2013**

विषय– **मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) के क्रियान्वयन सम्बन्धित दिशा–निर्देश।**

महोदय,

सचिव, महिला एंव बाल विकास तथा सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त अर्द्धशासकीय पत्र सख्या–16–7/2009–एन0डी0, दिनांक 25 मार्च, 2010 द्वारा प्राप्त निर्देशो के क्रम में गर्भवर्ती माताओं की समुचित देख–भाल तथा तीन वर्ष तक के आयु वर्ग के समस्त बच्चों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानको के अनुरूप टीकाकरण व उपचार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से बाल विकास विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा संयुक्त रूप से एक मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) जारी किया गया था, जिसके क्रम में गर्भवती माताओं एंव बच्चों हेतु यह कार्ड योजना 01 अप्रैल, 2010 से राज्य में लागू की जा चुकी हैं। मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) के राज्य में उपयोग किये जाने से जहाँ गर्भवती माताओं को चिन्हित कर उनकी उचित देखभाल की जा सकेगी, वहीं जन्म से तीन वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को यथा समय उचित टीकाकरण एवं अन्य उपचार प्रदान किया जा सकेगा तथा मातृ व शिशु मुत्यु, अल्प वजन, अल्प पोषण वाले शिशुओं के स्वास्थ्य स्तर में भी वृद्धि हो सकेगी। इसी सम्बन्ध में पुनः भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, मंत्रालय तथा महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संयुक्त पत्र संख्या–16–7/2009–एन0डी0 दिनांक सितम्बर, 2012 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी हैं :–

1. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) माताओं एंव शिशुओं की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण कार्ड है, जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन एंव बाल विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आपसी समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों की आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुये उन्हें समन्वित रूप से सेवायें उपलब्ध करायी जानी हैं । साथ ही गर्भवती माताओं की पहचान करने एंव हाई–रिस्क गर्भवती माताओं का संदर्भण एंव शिशुओं के टीकाकरण का कार्य दोनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

2. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) के उपयोग से माताओं एंव नवजात शिशुओं की देखभाल, समन्वित स्वास्थ्य पोशण प्रदान करना एवं उनके विकास हेतु प्रयास किये जा सकेगें साथ ही युवा बालिकाओं की समुचित देखभाल एवं उन्हें विष्व स्वास्थ्य संगठन के मानको के अनुरूप सेवायें प्रदान की जायेगी।

3. भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य में मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) को लागू किया जाना एक मात्र ऐसा अनुपम प्रयास है, जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एंव बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत मातृ सुरक्षा एंव छोटे बच्चों की देखभाल एवं उनके विकास से सम्बन्धित समन्वित अभिनव प्रयास करने होंगे। इसके लिऐ दोनों विभागों द्वारा परस्पर समन्वय के साथ प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ माताओं एवं शिशुओं को प्रदान करना हैं। अतएव इस कार्ड का उपयोग समस्त पात्र माताओं एवं शिशुओं हेतु करके सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाय।

4. यह भी आवश्यक है कि मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) दोनो विभागों के समन्वित कार्ययोजना के निर्धारण करने तथा नियत ग्राम स्वास्थ्य एंव पोषण दिवस (Village Health & Nutrition Day) के माध्यम से सेवाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने होगें तथा एकीकृत सूचना तंत्र विकसित कर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन एंव पर्यवेक्षण समीक्षा बैठकों का आयोजन एंव कार्ययोजना का क्रियान्वयन संयुक्त रूप से किया जायेगा और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण भी समन्वित प्रयासों से किया जायेगा।

अतः राज्य में मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) योजना का शतप्रतिशत क्रियान्वयन उक्तानुसार महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण तथा निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु दोनों विभाग वृतित कार्ययोजना बनाकर कार्य करेगें, जिससे मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Maternal & Child Protection Card) के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और गर्भवती माताओं एवं तीन वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एंव महिला एंव बाल विकास के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं का लाभ समन्वित रूप से प्राप्त हो सके।

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

(एस.रामास्वामी)
प्रमुख सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण

संख्या– 1437(1)/XXVIII–4–2012–09/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास योजना उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर , देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(अतर सिंह)
उप सचिव